

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज

टीकमसिंह बगैरा बनाम उपखण्डाधिकारी सैपऊ 04/2020

14.07.20

कोरोना महामारी के फैलाव के कारण पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ श्री हरि सिंह लम्बोरा आर०ए०एस० के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र श्री हरि सिंह लम्बोरा आर०ए०एस० तत्कालीन उपखण्डाधिकारी सैपऊ के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। उनका स्थानान्तरण हो चुका है। अतः इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण फ़ैसलशुमार हो। वाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। नम्बर से कम किया जावे।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

14/7/20

(जायसवाल के० आर०)
जिला कलक्टर, धौलपुर